न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामाँ

मुकदमा नं0 20/2021

1– बाबूलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी अगमा मौहल्ला कामा जिला (डीग) राज0

प्रार्थी

बनाम

1–तहसीलदार कामां जिला डीग

2–श्याम सुन्दर

3–प्रकाश चन्द

4–सुरेशचन्द

5–शंकरलाल पुत्रगण स्व0 राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासीयान अगमा मौहल्ला कामां

6–रामवती देवी पुत्री राधेश्याम पत्नि ईश्वरी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हाल व्यावर तहसील व्यावर तहसील व जिला अलवर

7–गुड्डी उर्फ उर्मिला पुत्री राधेश्याम पत्नि हरद्वारी जाति ब्राहमण निवासी आजाद मौहल्ला तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलबर

8–शीला देवी पुत्री राधेश्याम पत्नि रामानन्द जी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मूगस्का रोड अलवर तहसील व जिला अलवर

तरतीवी /अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

1– सायल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा।

2– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 14.06.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया कि खाता संख्या 653 खसरा नं0 2564/0.66 पुराना खसरा नम्बर 6526 वाके कस्बा कामां नं0 3 में स्थित है जो कि रकवा 1.15 हैक्टर है। सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2067 लगायत 2077, ट्रेश नक्शा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई नया वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। खसरा नम्बर 2563/0.49 पुराना खसरा नम्बर 6526 हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी बाबूलाल पुत्र भजनलाल के नाम इन्द्राज चल रहा है। जबकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त खसरा नम्बर 2563/0.49 ऐयर्स राधेश्याम के नाम राधेश्याम का नाम इन्द्राज होना चाहिये था जबकि बाबूलाल के नाम खसरा नम्बर 2564/0.49 एयर्स का इन्द्राज दर्ज होना चाहिये थां। पुराना खसरा नम्बर 6526/1.64 एयर्स का था जबकि राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2564/0.49 एयर्स बाबूलाल के नाम दर्ज होना चाहिये क्योंकि बाबूलाल इसी नम्बर पर काबिज रहकर मौके पर काश्त कर रहा है और कब्जा प्रार्थी का 2564 नम्बर पर ही है। जबकि पूरा नम्बर अप्रार्थी सं0 2 लगायत 8 के पिता मृतक राधेश्याम के नाम राजस्व कर्मचारियों की सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। जो कतई खिलाफ कानून खिलाफ मौका है जिसे प्रार्थी संशोधित करा पाने का अधिकारी है। नक्शा ट्रेस भी राजस्व कर्मचारियों ने मौके के अनुसार नहीं दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

प्रार्थी खसरा 2564/0.49 को उत्तर दिशा में दर्शाना चाहिए जबकि प्रार्थी की दिशा को दक्षिण में दर्शाया है । जो गलत है । मौके के मुताबिक नक्शा ट्रेस को दो भागों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था मौके के मुताबिक नक्शा अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 के मृतक पिता राधेश्याम का कब्जा दक्षिण दिशा में ही है और नक्शा ट्रेस में दिशा गलत अंकित की हुई इसलिए प्रार्थी नक्शा ट्रेस में भी मुताबिक मौका संशोधन कराने के अधिकारी है । खसरा नम्बर 2564/1.15 एयर्स का है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 के मृतक पिता राधेश्याम के नाम वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों की सहवन भूल से इन्द्राज हो रहा है जो कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है । मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थीगण हिस्सा के दक्षिण दिशा में 1.15 ऐयर्स में से 0.66 ऐयर्स पर मृतक राधेश्याम के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम हिस्सा दर्ज होना है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 2564/1.15 एयर्स में से व तरफ उत्तर दिशा में 0.49 ऐयर्स रकवा प्रार्थी बाबूलाल के नाम दर्ज होना है। इसलिए न्यायहित में संशोधन किया जाना आवश्यक है तथा खसरा नं0 2563/0.49 एयर्स पर सहवन से बाबूलाल प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । संशोधित कर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 के नाम दर्ज होना है । इस प्रकार जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल व नक्शा में अप्रार्थी के नाम संशोधन होना है तथा जमाबन्दी में खसरा नम्बर 2563 के स्थान पर खसरा नम्बर 2564 प्रार्थी बाबूलाल के नाम दर्ज होना है । पूर्व के खसरा नम्बर 6530/0.29 एयर्स का रकवा का तथा खसरा नम्बर 6526/0.49 एयर्स का था जो कस्बा कामां नं0 3 में स्थित है जो कि विनिमय पत्र विलेख से खातेदार मिश्रीलाल ने बाबूलाल को हस्तान्तरित कर दिये थे । प्रार्थी बाबूलाल ने विनिमय विलेख पत्र द्वारा खसरा नम्बर 6476/0.61 कामां नं0 3 में व खसरा नम्बर 385/77/0.77 ऐयर्स स्थित अगमा कामां में प्रार्थी बाबूलाल ने मिश्रीलाल के नाम करा दिये थे । अतः जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल व नक्शा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हिस्सा व कब्जा संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं0 2 लगायत 8 बाबजूद उपस्थित नहीं होने के कारण अनुपस्थिति दर्ज की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया। जिसे सुन कर स्वीकार किया गया कि पुराना खसरा नम्बर 6525 सहवन भूल से दर्ज हो गया जो मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक पुराना खसरा नम्बर 6526 है । अतः खसरा नम्बर 6525 के स्थान पर 6526 संशोधित दर्ज किया जाता है। तहसीलदार कामां के पत्र पत्रांक/एल.आर./2023/933 दिनांक 1.06.2023 के प्राप्त रिपोर्ट में भू–प्रबन्ध विभाग के हाल खसरा नम्बर 2563/0.49 (साबिक नं0 7119/6526/0.49)2564/1.15 (साबिक नं0 7120/6526/1.15) बनाए गए हैं। हाल आराजी खसरा नम्बर 2563 रकवा 0.49 हैक्टर पर बाबूलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण साकिन कस्बा कामां दर्ज रिकार्ड है । आराजी खसरा नम्बर 2564 रकवा 1.15 हैक्टर पर कमलेश, प्रकाशचन्द, रामवती, शंकर वगैरहा यानि कि राधेश्याम जाति ब्राहमण के वारिसान दर्ज रिकार्ड है । आराजी खसरा नम्बर 2564/1.15 हैक्टर को उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। जबकि मौके पर उत्तर दिशा में 0.49 हैक्टर पर बाबूलाल पुत्र भजनलाल कौम ब्राहमण का कब्जा है। आ0ख0नं0 2563/0.49 को दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। जबकि मौके पर कमलेश, प्रकाशचन्द वगैरा यानि कि राधेश्याम के वारिसानों का कब्जा है। अतः मौका कब्जा काश्त के अनुसार 2564/1/0.49 पर बाबूलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी कामां एवं आराजी खसरा नम्बर 2564/2/0.66 व 2563/0.49 पर कमलेश, प्रकाशचन्द, रामवती, शंकर वगैरहा जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां के शुद्ध किया जाना उचित होने बाबत् रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थी बकील की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में मौका कब्जा काश्त के अनुसार 2564/1/0.49 पर बाबूलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी कामां एवं आखनं0 2564/2/0.66 व 2563/0.49 पर कमलेश, प्रकाशचन्द, रामवती, शंकर वगैरहा जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां की शुद्धि किया जाना उचित होने बाबत् रिपोर्ट प्रेषित कर सिफाशि की गई है । मौका कब्जा काश्त के

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०

ुसार 2564/1/0.49 पर बाबूलाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी कामां एवं आखनं0 64/2/0.66 व 2563/0.49 पर कमलेश, प्रकाशचन्द, रामवती, शंकर वगैरहा जाति ब्राहमण ासी कस्बा कामां की शुद्धि किया जाना उचित किया जाने की रिपोर्ट की है ।
ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, 2074–2077, ल नक्शा ट्रेस नकल मिलान क्षेत्रफल पेश की है ।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र ्वीकार किया जाता है। तथा मौका कब्जा काश्त के अनुसार 2564/1/0.49 पर बाबूलाल जनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कामां एवं आखनं0 2564/2/0.66 व 2563/0.49 पर ा, प्रकाशचन्द, रामवती, शंकर वगैरहा जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां की शुद्धि किया है। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०